

दिनांक 21.05.2018

प्रार्थी के वकील उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रार्थना-पत्र एस.डी.ओ. डीग श्री दुलीचन्द मीना के खिलाफ पेश किया है। चूंकि एस.डी.ओ. डीग श्री दुलीचन्द मीना का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

